लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3852

उत्तर देने की तारीखः 16.07.2019

नशामुक्ति केन्द्र/आईआरसी

3852. श्री तेजस्वी सूर्याः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नशाखोरों हेतु सक्रिय नशामुक्ति केन्द्रों/एकीकृत और पुनर्वास केन्द्रों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) एल्कोहोलिक्स-एनोनीमाऊस की संख्या क्या है अथवा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शराबखोरी निवारण हेतु आयोजित किए गए सत्रों को वर्ष और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या सहायता प्रदान की गई है और इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान नशामुक्ति केन्द्रों/एकीकृत और पुनर्वास केन्द्रों में नामांकित व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार वर्ष 2019 में कर्नाटक में नशाखोरों हेतु और अधिक एकीकृत और पुनर्वास केन्द्रों को स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग के निवारण के लिए सहायता की केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत एकीकृत व्यसनी पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए) के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए गैर-सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों आदि को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सिफारिश के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त नशा मुक्ति केंद्रों/एकीकृत तथा पुनर्वास केंद्रों (आईआरसी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) : अज्ञात मद्यव्यसनी के लिए अथवा मद्यपान के निवारण हेतु आयोजित सत्रों के लिए सहायता हेतु उक्त योजना के अंतर्गत अलग से धनराशि संस्वीकृत किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) : उक्त अवधि के दौरान आईआरसीए में नामांकित व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) : किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और योजना के मानदंडों के अनुसार सभी दृष्टि से उनके पूर्ण होने पर निर्भर करती है।

*****

अनुबंध-I

मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग के निवारण हेतु योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त एकीकृत व्यसनी पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए) की संख्या

क्र.सं.	राज्य	आईआरसीए की सं.
1	आंध्र प्रदेश	12
2	बिहार	10
3	छत्तीसगढ़	4
4	गोवा	0
5	गुजरात	8
6	हरियाणा	13
7	हिमाचल प्रदेश	4
8	जम्मू और कश्मीर	1
9	झारखंड	1
10	कर्नाटक	37
11	केरल	23
12	मध्य प्रदेश	23
13	महाराष्ट्र	68
14	ओडिशा	40
15	पंजाब	27
16	राजस्थान	19
17	तमिलनाडु	33
18	तेलंगाना	10
19	उत्तर प्रदेश	27
20	उत्तराखंड	4
21	पश्चिम बंगाल	12
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
23	चंडीगढ़	0
24	दादर और नागर हवेली	0
25	दिल्ली	9
26	दमन और दीव	1
27	लक्षद्वीप	0
28	पुडुचेरी	2
29	अरुणाचल प्रदेश	2
30	असम	26
31	मणिपुर	21
32	मेघालय	2
33	मिजोरम	11
34	नागालैंड	9
35	त्रिपुरा	0
36	सिक्किम	2
	कुल	**461**

मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग के निवारण हेतु योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लाभार्थियों की संख्या

	लाभार्थियों की संख्या			
राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (10.07.2019 तक यथा उपलब्ध)
आंध्र प्रदेश	4059	2952	1752	109
बिहार	2583	2952	1599	0
छत्तीसगढ़	369	369	195	0
गोवा	0	0	0	0
गुजरात	3690	1476	1248	105
हरियाणा	3690	1845	2664	59
हिमाचल प्रदेश	738	369	308	35
जम्मू और कश्मीर	369	0	179	0
झारखंड	369	0	0	0
कर्नाटक	9963	1845	5866	272
केरल	9963	6642	3892	52
मध्य प्रदेश	3690	4059	2908	134
महाराष्ट्र	13284	21771	10465	220
ओडिशा	10332	12546	6647	125
पंजाब	2214	2214	1865	0
राजस्थान	3690	4797	2453	5
तमिलनाडु	10332	7011	4814	585
तेलंगाना	3321	1845	1144	159
उत्तर प्रदेश	7011	6642	5504	156
उत्तराखंड	1107	1107	1549	117
पश्चिम बंगाल	3321	1845	1137	41
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0
दादर और नागर हवेली	0	0	0	0
दिल्ली	5904	1476	2394	0
दमन और दीव	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
पुडुचेरी	369	369	356	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	4428	2952	9807	455
मणिपुर	4059	8487	5733	270
मेघालय	0	369	214	0
मिजोरम	3321	3321	2122	69
नागालैंड	2214	1476	548	44
त्रिपुरा	0	0	0	0
सिक्किम	369	0	116	25
कुल	**114759**	**100737**	**77479**	**3037**